

जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में

बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर वन मंडल का कुल वन भूमि निम्नानुसार है ।

(1)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4029.00 वर्ग कि.मी.
(2)	जिले का वनक्षेत्र	वनमण्डल का वनक्षेत्र
	आरक्षित वन	1083.761 वर्ग कि.मी.
	संरक्षित वन	661.326 वर्ग कि.मी.
	असीमांकित वन	466.720 वर्ग कि.मी.
	योग -	2211.807 वर्ग कि.मी.

Dalvi

वन मंडलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में

109

प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हेक्टेयर में

बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत प्रकरणों में निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हुआ है।

क्र.	आवेदित विभाग	परियोजना का नाम	वन भूमि रकबा (हे.में.)	भारत शासन का स्वीकृति आदेश क्र.
1	सिंचाई विभाग	भोण्ड जलाशय	0.630	क्र.8-493/84/एफ.सी दिनांक 27.05.89
2	सिंचाई विभाग	पीठापुर जलाशय	7.860	क्र.8-374/84/एफ.सी दिनांक 15.05.94
3	सिंचाई विभाग	तारापुर जलाशय	19.448	क्र.8-327/84/एफ.सी दिनांक 13.07.89
4	रक्षा विभाग भारत सरकार	रक्षा अनुसंधान एवं विकास	132.598	क्र.8-11/95/एफ.सी दिनांक 24.08.99
5	जल संसाधन संभाग	कोसारटेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना	595.630	क्र.8-203/88/एफ.सी दिनांक 24.08.98
6	प्र.मं.ग्रा.सं.यो. ग्राम उडियापाल इरपा डिलमिली	गिट्टी उत्खनन	2.400	क्र.6-493/84/सी.एच.सी./032/05-बी.एच.ओ./1977, क्र. 6-493/84/सी.एच.सी./031/05-बी.एच.ओ./1972 दिनांक 29.09.05 दिनांक 29.09.05 एवं क्र.6-सी.एच.सी./028/05-बी.एच.ओ./1975 दिनांक 29.09.05
7	बी0आर0ओ	सडक चौड़ीकरण	37.031	क्र.8-143/03/एफ.सी दिनांक 27.02.04
8	भारतीय मानव विज्ञान	सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण	0.789	क्र.6-सी.एच.बी./048/07-बी.एच.ओ./2588 दिनांक 20.10.09
9	एन.एम.डी.सी.	रेल लाईन निर्माण	10.763	क्र.6-सी.एच.बी./035/06-बी.एच.ओ./876 दिनांक 17.05.10
10	मेसर्स Chhattisgarh Energy Consortium (India) Pvt.Ltd. Raipur	24.75 मेगावॉट माडर-1 जल विद्युत परियोजना	19.718	क्र./6-सी.एच.सी./015/2009-बी.एच.ओ./2935 दि. 21.04. 2011
11	परियोजना प्रबंधक एन.एम. डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, नगरनार	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट निर्माण हेतु (सं.व.भूमि 1.800 एवं रा.वनभूमि 23.920)	25.720	क्रमांक/6-CHC/012/2010-BHO/3034 दिनांक 06.05.11
12	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	पुलिस चौकी निर्माण हेतु (राजस्व वनभूमि)	0.900	क्रमांक/6 CHB 062/2007- BHO/257 दिनांक 03.02.2011
13	कार्यपालन यंत्री अतिउच्च दाब (निर्माण एवं संधारण) संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल रायपुर	विद्युत लाईन निर्माण हेतु	4.712	क्र./6-CHC/003/2010-BHO/3066 दि. 12.05.2011
14	निदेशक एस.आई.बी. (एम.एच.ए.) जी.ओ.आई. रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु (राजस्व वनभूमि)	0.232	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र. /एफ-5-4/2012/10-2 दि. 10.03.2014
15	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	कक्ष क्रमांक 1402पी में पुलिस चौकी निर्माण हेतु (ग्राम घोडिया)	1.000	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र. /एफ-5-4/2014/10-2 दि. 10.04.2015
16	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	कैम्प मुख्यालय स्थापना के लिये (ग्राम कामानार)	1.000	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र. /एफ-5-21/2015/10-2 दि. 30.12.2015
17	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	बटालियन मुख्यालय स्थापना के लिये (ग्राम सेड़वा)	2.000	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र. /एफ-5-20/2015/10-2 दि. 30.12.2015

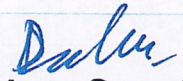
18	प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित जगदलपुर	ईमली, महुआ बीज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना हेतु	0.405	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र. /एफ-5-21/2014/10-2 दि. 12.08.2014
19	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	कैरिपुबल कैम्प स्थापना के लिये (ग्राम नानगुर)	0.740	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र. /एफ-5-17/2015/10-2 दि. 20.04.2016
20	कार्यपालन अभियंता (सिविल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, जगदलपुर	220/132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने हेतु (ग्राम महुपाल बरई)	2.680	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र. /एफ-5-39/2016/10-2 दि. 28.12.2016
		योग :-	867.156	

Dolan

वन मंडलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हेक्टेयर में

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) प्रस्तावित किया गया है। इसी कटेगरी के कोई भी प्रकरण स्वीकृत नहीं है।



वन मंडलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति की जानकारी

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) प्रस्तावित किया गया है। 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है, न ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।


वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर


अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट

नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर
अधिशासी निदेशक (एन.आई.एस.पी.)
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)


22/12/22
(AGM-ENV)

प्रस्तावित क्षेत्र के 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु
प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन की जानकारी
(खनन प्रकरणों में)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित कार्य खनन प्रकरणों से संबंधित न होने के कारण आवश्यकता नहीं है।

Dulu.

वन मंडलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

वनअधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.11-9/1998-FC दिनांक-03.08.2009 ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution)

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर जिला बस्तर द्वारा जारी वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न है।



अधिशासी निदेशक,

एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर



AGM(CENV)

प्रशान्त दास

अधिशासी निदेशक

एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

FORM-II
(For project other than linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector- Bastar

Annexure-II

No.Q/reader/2018

Date 20/03/2018

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, It is certified that 9.80 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of NMDC Ltd. (NMDC Iron and Steel plant, Nagarnar, District Bastar for the construction of ITI and Polytechnic College at Chokawada Tahsil Jagdalpur falls within the jurisdiction of bastar district.

It is further certified that :-

- (A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.80 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meetings of the forest rights, Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure
- (B) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) has been placed before Gram Sabha of the forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (C) Gram Sabha of village chokawada has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of chokawada is enclosed as annexure ----to annexure ---
- (D) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 80% of the members of Gram Sabha.
- (E) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section. 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (F) The right of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA

Encl : As above

Date : 20 /03/2018

Place : Jagdalpur



(DHANANJAY DEWANGAN)

कलेक्टर
जिला बास्तर (C.G.)

प्रमाण पत्र

एन0एम0डी0सी0 लिमिटेड, आयरन एंड स्टील प्लांट नगरनार के द्वारा आई0टी0आई0 एवं पॉलिटैक्निक कॉलेज निर्माण किये जाने हेतु जिला बस्तर के बस्तर वन मण्डल के ग्राम चोकावाड़ा तहसील जगदलपुर के राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल रकबा 9.80 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1/ प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि 9.80 हे०, जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम चोकावाड़ा तहसील जगदलपुर में स्थित है, मैं तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 02/11/2017 का प्रतिवेदन (प्रदर्श-"ब") पर दर्शित है।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत चोकावाड़ा के सरपंच की अध्यक्षता में हुई, ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02/11/2017 में रखा गया था। ग्राम सभा में ग्राम के 80 % सदस्य तथा ग्राम वन समिति के 08 सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
1	चोकावाड़ा	निरंक	निरंक

3/ यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए, उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4/ यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/11/2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1)(म) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5/ ग्राम सभा के दिनांक 02/11/2017 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

दिनांक :- 20 / 03 / 2018

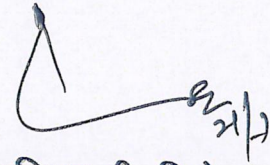


K.
(धनंजय देवीगन)
कलेक्टर
अध्यक्ष, जिला वन अधिकार समिति
जिला बस्तर

कंडिका क्रमांक-35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन हेतु कलेक्टर जिला बस्तर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।



अधिशासी निदेशक,

एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर

प्रशान्त दास

अधिशासी निदेशक

एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)



AGM (ENV)

(34)

(11)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बस्तर जिला, जगदलपुर
// ज्ञापन //

क्रमांक/क/रीडर/2017
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 24/08/2017

अधिशाली निदेशक,
एनआईएसपी, एनएमडीसी
नगरनार

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा एनएमडीसी के सीएसआर मद से आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण किये जाने हेतु ग्राम चोकावाड़ा स्थित खसरा क्र० 638 रकबा 13.340 हे० में से 8.10 हे०, ख० क्र० 640 रकबा 4.290 हे० में से 1.7 हे० (वन/छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज) भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है।

आवेदित भूमि राजस्व अभिलेख छोटे झाड़ के जंगल, वन भूमि मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि की श्रेणी हैं। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है।

अतएव राजस्व वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन में लिये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तो इस कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

पृ.क्रमांक/क/रीडर/2017
प्रतिलिपि :-

क' 24/8/17
कलेक्टर
जिला बस्तर
जगदलपुर, दिनांक 24/08/2017

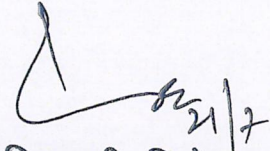
वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

461
कलेक्टर
जिला बस्तर

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्यासा मूल्य जमा करने का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा प्रत्यारोपित एवं भविष्य में प्रत्यारोपित की जाने वाली सभी प्रकार के शर्तें मान्य की जावेगी एवं प्रत्याशा मूल्य जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।



अधिशासी निदेशक,

एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर

प्रशान्त दास

अधिशासी निदेशक

एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)



AGM (ENV)

**Clearance under FC Act, 1980 Desposition of funds with the ad-hoc
CAMPA : Remmittances to precede 2nd stage clearance**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

प्रत्यावर्तन प्रस्ताव भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जो भी राशि CA, ACA, PCS, CAT, NPV आदि निर्धारित की जाती है तो वह राशि CAMPA निधि में तत्काल जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।

Daly

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

[Signature]

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर

[Signature]
AGM(CNV)

प्रशांत ठाकुर

अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

"A Detailed note on soil productivity or the lack of it"

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। भूमि की दशा प्राकृतिक (Geo-Ecological) कारणों से है।

Dalme

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

K. H. Singh

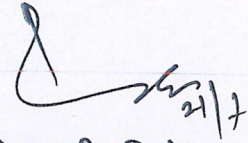
अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट

नगरनार जगदलपुर जिला बस्तर
(अधिशासी निदेशक (एन.एम.डी.सी.पी.))
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार 494001 जिला - बस्तर (छ.ग.)

22/12/22
(AGM-ENV.)

परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी. सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।



अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर

प्रशान्त दास

अधिशासी निदेशक

एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)



AGM (ENV)

ESTABLISHMENT AND OPERATION OF VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE

Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non- forestry purposes under the Forest (Conservation) Act-1980- Stipulation of additional condition (the user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित प्रकरण कंडिका क्रमांक -40 के अंतर्गत नहीं आता है।

Dalm

वनमण्डलाधिकारी

बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

[Signature]

अधिशासी निदेशक,

एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर

प्रशान्त दास

अधिशासी निदेशक

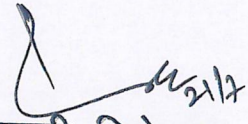
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

[Signature]
AGM(ENV)

पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी. आई. , पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक FP/CG./Othrs/28963/2017 है।

आवेदक संस्थान से पंजीयन शुल्क रू.- 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू.- 29000/- कुल राशि रू. 35000/- डी.डी.कं. 804451 दिनांक 05.10.2020 राशि वसूल की जाकर कोषालय में चालन नं. 00101 दिनांक 26.11.2020 द्वारा वनमण्डल के पी.डी. खाता में जमा किया गया है।


अधिशासी निदेशक,

एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर


वनमंडलाधिकारी

बस्तर वनमंडल जगदलपुर

प्रशान्त दास

अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)


AGM (BNV)

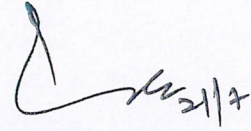
वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत
(विशेष कर खनन प्रकरणों में)

आवश्यकता नहीं है।

Dalun
वनमंडलाधिकारी
बस्तर वनमंडल जगदलपुर

विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण

आवश्यकता नहीं है।



अधिशाली निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला-बस्तर

अधिशाली निदेशक(एन.आई.एस.पी.)
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार 494001 जिला-बस्तर (उ.प्र.)



AGM(BNY)

प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण

निरंक।

*Darun*वन मंडलाधिकारी
बस्तर वनमंडल जगदलपुर



52

o/c (13)

NMDC Limited
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
NMDC Iron & Steel Plant
Post - Nagamar, Jagdalpur (Bastar) C.G. PIN 494001
CIN-L13100AP1958GOI001674

NISP/ENVIRONMENT/ITI/FC/2020/3763

Date. 28.11.2020

To,
Divisional Forest Officer (DFO)
Bastar Forest Division,
Jagdalpur, Chhattisgarh.

Subject: Forest Clearance for construction of ITI, Polytechnic and other infrastructure at Village-Chokawada, NMDC Ltd. NISP Nagamar.

Ref: PCCF(LM) Letter- S.No./Land Management/Vivid/LM-115-875/2059 Dated.19/11/2020

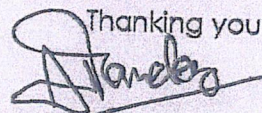
Madam,

This has to reference to above PCCF (LM) letter on dated.19.11.2020, project submitted the online application (Proposal No: FP/CG/Others/28963/2017) on dated.11.11.2020 for diversion of 9.80 Ha Forest land for the construction of ITI, Polytechnic & associated infrastructure & same has been accepted by PCCF(LM) office Nava Raipur on dated.23.11.2020.

In the same reference PCCF(LM) instructed to project to submit the signed hard copy of Form-A with all relevant documents to Divisional Forest Officer (DFO) Bastar, Jagdalpur office for further processing of forest diversion proposal.

In view of above, we are pleased to submit herewith signed hard copy of Form-A with all relevant documents uploaded during online application for diversion of forest land for construction of ITI, Polytechnic and other infrastructure at Village-Chokawada, NMDC Ltd. NISP Nagamar.

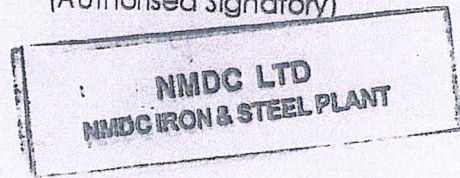
In continuation of above reference, you are kindly requested to process our forest clearance proposal.

Thanking you


(Authorised Signatory)

Enclosers: - As per (Annexure -1)

Copy: - SOT to ED. NISP for Kind Information Please.



FORM - A

(122)

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for
Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-
1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/CG/Others/28963/2017

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : CONSTRUCTION OF ITI, POLYTECHNIC & OTHER ASSOCIATED INFRASTRUCTURES, OF NMDC LTD. NISP NAGARNAR.

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Construction of ITI, Polytechnic and other associated infra-structures in Village- Chokawada, Tehsil- Jagdalpur, District- Bastar (Total Forestland=9.80 Ha) under CSR Activities of NMDC Ltd.

(iv). State : Chhattisgarh

(v). Category of the Project : Others

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Non Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 3896

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 9.8

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 0.898

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 99

A-
2. Details of User Agency

(i). Name : NMDC LTD., NISP, NAGARNAR, BASTAR DISTRICT, (C.G.)

(ii). Address1 : Executive Director NISP NMDC Ltd Iron & Steel Plant

(iii). Address2 : Jagdalpur

(iv). State : Chhattisgarh

(v). District : Bastar

(vi). Pin : 494001

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : nispsteeljdp@nmdc.co.in

(ix). Landline Telephone No. : 7782-265301

(x). Fax No. : 7782-

(xi). Mobile No. : 8718888331

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Legal status of User Agency : Central PSU

A-
3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Ashok

(ii). Middle Name: Kumar

(iii). Last Name: Pandey

(iv). Gender: Male

(v). Designation: AGM (Environment)

(vi). Address 1: NMDC Integrated Steel Plant (NISP)

(vii). Address 2: Village & Post Office Nagarnar

(viii). State: Chhattisgarh

(ix). District: Bastar

(x). Tehsil: Jagdalpur

(xi). Pin: 494001

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: nispsteeljdp@nmdc.co.in

(xiv). Landline Telephone No.: 7782-265301

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 8718881913

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

128

B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for
1. diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-
2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Bastar	9.8	0.898

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Bastar	9.8	0.898

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Chokawada	9.8	0.898

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	ITI, POLYTECHNIC	5	0
2	OTHER INFRASTRUCTURES AND PLAYGROUND	4.8	0.898

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Bastar	
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 9.8	

56
(ii). : Non Linear

(a). No. of patches : One

Patch wise details		
Patch No.	Area of Patch(in ha.)	Kml File of Patches
1.	9.8	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station:  ✓

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 275

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 500

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas